

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/784-0  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला - दतिया,  
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री प्रशांत कौरव पुत्र स्व० श्री लाखन सिंह कौरव, वार्ड बॉय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भांडेर, जिला दतिया, म.प्र.।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 2554 दिनांक 05.06.2018.

-0-

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री प्रशांत कौरव पुत्र स्व० श्री लाखन सिंह कौरव, वार्ड बॉय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भांडेर, जिला दतिया, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग में चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय में प्राप्त हुआ है, जो मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।


आवेदक श्री प्रशांत कौरव द्वारा संचालनालय में उपस्थित होकर ड्रेसर के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु सहमति प्रस्तुत की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, "यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।"

अतः श्री प्रशांत कौरव को ड्रेसर ग्रेड-2 का निर्धारित तीन माह का प्रशिक्षण जिला चिकित्सालय दतिया में दिये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जा कर संचालनालय को ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) द्वारा अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। आवेदक द्वारा तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर नियमानुसार ड्रेसर ग्रेड-2 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावे। उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को ड्रेसर का प्रशिक्षण संचालनालय की अनुमति के बगैर नहीं दिया जावे।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 31 तक

  
21/8/18  
(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक प्रशासन  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक /08/2018

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कलेक्टर जिला दतिया मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर, संभाग ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय दतिया, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री प्रशांत कौरव को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु ड्रेसर का तीन माह का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाण-पत्र जारी किया जावे। उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को ड्रेसर का प्रशिक्षण संचालनालय की अनुमति के बगैर नहीं दिया जावे।
4. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
5. श्री प्रशांत कौरव पुत्र स्व० श्री लाखन सिंह कौरव, निवासी- ग्राम पोस्ट बरई, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/782-0  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला - दतिया,  
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री राजा जर्मन जाटव पिता स्व० श्री रामनाथ जाटव कंपाउण्डर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडौनी, जिला दतिया, म.प्र.।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 141 दिनांक 05.01.2018 एवं पत्र क्र. 2591 दिनांक 06.06.2018.

-0-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री राजा जर्मन जाटव, पिता स्व० श्री रामनाथ जाटव कंपाउण्डर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडौनी, जिला दतिया, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।


आवेदक श्री राजा जर्मन जाटव द्वारा आपके माध्यम से पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्राप्त किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, "यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।"

अतः श्री राजा जर्मन जाटव का मूल प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों सहित आपकी ओर भेजा जा रहा है। आप संबंधित को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर अवगत करावें।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 23 तक

  
24/8/18  
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

भोपाल, दिनांक /08/2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कलेक्टर जिला दतिया मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर, संभाग ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर, मध्यप्रदेश।
4. प्राचार्य, चिकित्सा अधिकारी, बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म०प्र० की ओर भेजकर लेख है कि श्री राजा जर्मन जाटव को चालू सत्र में ही प्रशिक्षण में शामिल कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
5. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
6. श्री राजा जर्मन जाटव पुत्र स्व. श्री आर.एन. जाटव, निवासी-जवाहर लाल नेहरू वार्ड बडौनी जिला दतिया मध्यप्रदेश।

  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/780-0  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला - दतिया,  
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री दिनेश जैतवार, पति स्व० श्रीमती मंजूलता जैतवार, स्टॉफ नर्स, जिला चिकित्सालय दतिया, म.प्र.।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 16.04.2018.

-0-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री दिनेश जैतवार, पति स्व० श्रीमती मंजूलता जैतवार, स्टॉफ नर्स, जिला चिकित्सालय, दतिया, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।


आवेदक श्री दिनेश जैतवार द्वारा संचालनालय में उपस्थित होकर पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्राप्त किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, "यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।"

अतः श्री दिनेश जैतवार का मूल प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों सहित आपकी ओर भेजा जा रहा है। आप संबंधित को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर अवगत करावें।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 19 तक

  
21/8/18  
(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक /08/2018

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कलेक्टर जिला दतिया मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर, संभाग ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर, मध्यप्रदेश।
4. प्राचार्य, चिकित्सा अधिकारी, बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म०प्र० की ओर भेजकर लेख है कि श्री दिनेश जैतवार को चालू सूत्र में ही प्रशिक्षण में शामिल कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
5. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
6. श्री दिनेश जैतवार, निवासी- ग्राम पोस्ट नेवड़गॉव (वॉ), तहसील लालबर्वा, जिला बालाघाट, म.प्र.।

//  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/762-0  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला - भिण्ड,  
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री देववृत्त चौधरी पुत्र स्व० श्री अजय चौधरी, रेडियोग्राफर,  
जिला क्षय केन्द्र, भिण्ड, म.प्र.।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 5984-87 दिनांक 23.04.2018.

-0-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री देववृत्त चौधरी पुत्र स्व० श्री अजय चौधरी, रेडियोग्राफर, जिला क्षय केन्द्र, भिण्ड, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।


आवेदक श्री देववृत्त चौधरी द्वारा संचालनालय में उपस्थित होकर पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्राप्त किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, "यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।"

अतः श्री देववृत्त चौधरी का मूल प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों सहित आपकी ओर भेजा जा रहा है। आप संबंधित को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर अवगत करावें।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 41 तक

  
28/8  
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

भोपाल, दिनांक /08/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कलेक्टर जिला भिण्ड मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर, संभाग ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर, मध्यप्रदेश।
4. प्राचार्य, चिकित्सा अधिकारी, बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म०प्र० की ओर भेजकर लेख है कि श्री देववृत्त चौधरी को चालू सत्र में ही प्रशिक्षण में शामिल कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
5. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
6. श्री देववृत्त चौधरी पुत्र स्व० श्री अजय चौधरी, निवासी- एम.जे.एस कॉलेज के सामने, भिण्ड, जिला भिण्ड, म.प्र.।

  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/758-0  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला - भिण्ड,  
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री अमन गुप्ता पुत्र स्व० श्रीमती सुषमा पटाकर, ए.एन.एम.,  
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिथनपुरा (अटेर), जिला भिण्ड, म.प्र.।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 5988-91 दिनांक 23.04.2018.

-0-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री अमन गुप्ता पुत्र स्व० श्रीमती सुषमा पटाकर, ए.  
एन.एम., प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिथनपुरा (अटेर) जिला भिण्ड, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन  
सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।


आवेदक श्री अमन गुप्ता द्वारा संचालनालय में उपस्थित होकर पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का  
प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्राप्त किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल,  
दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.  
सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, "यदि किसी  
पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से  
सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने  
पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।"

अतः श्री अमन गुप्ता का मूल प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों सहित आपकी ओर भेजा जा रहा  
है। आप संबंधित को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता  
प्रशिक्षण केन्द्र, सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जाना  
सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर अवगत करावें।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 47 तक

  
24/8/18  
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

भोपाल, दिनांक /08/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कलेक्टर जिला भिण्ड मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर, संभाग ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर, मध्यप्रदेश।
4. प्राचार्य, चिकित्सा अधिकारी, बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म०प्र० की  
ओर भेजकर लेख है कि श्री अमन गुप्ता को चालू सत्र में ही प्रशिक्षण में शामिल कर  
अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
5. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
6. श्री अमन गुप्ता पुत्र स्व० श्रीमती सुषमा पटाकर, निवासी- के.के. भट्टा, मातादीन का पुरा अटेर  
रोड, जिला भिण्ड, म.प्र.।

  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/  
प्रति,

भोपाल, दिनांक /06/ 2018

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें,  
ग्वालियर संभाग ग्वालियर,  
मध्यप्रदेश

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्रीमती श्रद्धा शर्मा, पुत्री स्व.श्री चन्द्रमोहन शर्मा, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरपुरा, जिला भिण्ड, म.प्र.।

संदर्भ:- 1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड का पत्र क.5733-34 दिनांक 06.04.2015  
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना का पत्र क.2790-91 दिनांक 26.03.2018  
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना का पत्र क.5654-55 दिनांक 23.06.2018

-0-

सन्दर्भित पत्र क.01 के माध्यम से स्व.श्री चन्द्रमोहन शर्मा, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरपुरा, जिला भिण्ड का निधन दिनांक 28.09.2010, को हो जाने के कारण उनकी पुत्री श्रीमती श्रद्धा शर्मा पत्नि श्री. प्रदीप शर्मा का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण जिले में पद रिक्त न होने से संचालनालय में प्राप्त हुआ।

संचालनालय के पत्र क्रमांक 377-जे दिनांक 26.03.2018 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना को सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति हेतु भेजा गया था। सी.एम.एच.ओ. पन्ना द्वारा संदर्भित पत्र क.2 के माध्यम से पन्ना जिले में सहायक ग्रेड-3 का पद निःशक्तजन के लिए आरक्षित होने का कारण दर्शाया गया। जिस कारण सी.एम.एच.ओ. पन्ना से संबंधित का प्रकरण वापस प्राप्त किया गया।

श्रीमती श्रद्धा शर्मा के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त आवेदिका को नियमानुसार तृतीय श्रेणी पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होकर सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु योग्य पाया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार आपके अधीन सामान्य वर्ग में सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त है।

अतः म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत संबंधित प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों सहित आपकी ओर भेजा जा रहा है। आवेदिका के अभिलेखों का अवलोकन कर सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही 07 दिवस में करना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर अवगत करावें।

"संचालक (प्रशासन) द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क. 1 से तक

संयुक्त संचालक (अविज्ञप्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/631-M

भोपाल, दिनांक 25/06/ 2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला पन्ना/भिण्ड, म.प्र.।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर/सागर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड/पन्ना म.प्र.।
4. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. श्रीमती श्रद्धा शर्मा पुत्री स्व.श्री चन्द्रमोहन शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट बिरखड़ी, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.।

संयुक्त संचालक (अविज्ञप्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/  
प्रति,

भोपाल, दिनांक /06/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला - अशोकनगर,  
मध्यप्रदेश

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री ललित रघुवंशी पुत्र स्व. श्री हरिराम रघुवंशी सुपरवाईजर  
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ईशागढ जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 15565 दिनांक 16.08.2016।

-0-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री ललित रघुवंशी पुत्र स्व.श्री हरिराम रघुवंशी सुपर  
वाईजर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ईशागढ जिला अशोकनगर का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक  
ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

आवेदक श्री ललित रघुवंशी द्वारा संचालनालय में उपस्थित होकर पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता  
का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्राप्त किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल,  
दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.  
सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, यदि किसी  
पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से  
सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने  
पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।

अतः श्री ललित रघुवंशी का मूल प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों सहित आपकी ओर भेजा जा  
रहा है। आप संबंधित को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता  
प्रशिक्षण केन्द्र सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने बाबत नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जाना  
सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से ई-मेल ([nongazatted.mp@mp.gov.in](mailto:nongazatted.mp@mp.gov.in)) पर अवगत करावें।

"संचालक (प्रशासन) द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क. 1 से तक

//  
संयुक्त संचालक (अविज्ञप्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/629-M

भोपाल, दिनांक 05/06/2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कलेक्टर जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर, मध्यप्रदेश।
4. प्राचार्य, चिकित्सा अधिकारी, बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म0प्र0 की ओर  
भेजकर लेख है कि श्री ललित रघुवंशी को चालू सत्र में ही प्रशिक्षण में शामिल कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को  
अवगत करावें।
5. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
6. श्री ललित रघुवंशी पुत्र स्व. श्री हरिराम रघुवंशी पता-अन्नपूर्णा कालोनी जिला गुना मध्यप्रदेश।

@ 25/6/18  
संयुक्त संचालक (अविज्ञप्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र.

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/377- J  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26 / 03 / 2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला पन्ना, म.प्र.।

विषय- अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण- श्रीमती श्रद्धा शर्मा, पुत्री स्व. श्री चन्द्रमोहन शर्मा, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरपुरा, जिला भिण्ड, म.प्र.।

सन्दर्भ- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड का पत्र कमांक 5733-34 दिनांक 06.04.2015 ।


सन्दर्भित पत्र के माध्यम से स्व. श्री चन्द्रमोहन शर्मा, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरपुरा, जिला भिण्ड की मृत्यु दिनांक 28.09.2010, को हो जाने के कारण उनकी पुत्री श्रीमती श्रद्धा शर्मा पत्नि श्री प्रदीप शर्मा का अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण जिले में पद रिक्त न होने से संचालनालय में प्राप्त हुआ है, जो मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है ।

श्रीमती श्रद्धा शर्मा के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त आवेदिका को नियमानुसार तृतीय श्रेणी पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होकर सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु योग्य पाया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार आपके अधीन सामान्य वर्ग में सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त है।

अतः म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत आवेदिका के आवश्यक दस्तावेजों का अवलोकन कर सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही 07 दिवस में करना सुनिश्चित करें तथा ई-मेल ([nongazatted.mp@mp.gov.in](mailto:nongazatted.mp@mp.gov.in)) पर अवगत करावें।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न :- मूल सह पत्र।


  
24/3  
(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/378- J  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

भोपाल, दिनांक 26 / 03 / 2018

1. कलेक्टर जिला पन्ना/भिण्ड, म.प्र.।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर/सागर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड, जिला भिण्ड, म.प्र.।
4. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. श्रीमती श्रद्धा शर्मा पुत्री स्व.श्री चन्द्रमोहन शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट बिरखड़ी, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.।

  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश



# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/203 - I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला-भिण्ड, मध्यप्रदेश ।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - डॉ. नरेन्द्र सूर्यवंशी पुत्र स्व. डॉ. नंदलाल सूर्यवंशी चिकित्सा अधिकारी,  
जिला-रतलाम म.प्र. ।

सन्दर्भ:- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतलाम का पत्र क्र./स्थापना/2017/1332,  
रतलाम, दिनांक 19.06.2017 ।

—000—

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से डॉ. नरेन्द्र सूर्यवंशी पुत्र स्व. डॉ. नंदलाल सूर्यवंशी चिकित्सा अधिकारी,  
का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संचालनालय में प्राप्त हुआ है जो मूलतः संलग्न कर  
आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।

डॉ. नरेन्द्र सूर्यवंशी के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आवेदक को नियमानुसार  
तृतीय श्रेणी पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होकर सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु योग्य पाया गया।  
आपके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग में सहायक ग्रेड-3 का एक पद रिक्त है।

अतः म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.  
2014 के तहत आवेदक को सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति प्रदान कर की गई कार्यवाही से 03  
दिवस में संचालनालय को डाक एवं ई-मेल ([nongazatted.mp@mp.gov.in](mailto:nongazatted.mp@mp.gov.in)) द्वारा समय सीमा  
में अवगत करावें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न:- मूल सह पत्र ।

CD

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/204 - I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला रतलाम, म.प्र. ।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन/ग्वालियर संभाग म.प्र. ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-रतलाम, म.प्र. ।
4. डॉ. नरेन्द्र सूर्यवंशी पुत्र स्व. डॉ. नंदलाल सूर्यवंशी पता-48 वल्लभ नगर ताल- जिला रतलाम, म.प्र. ।
5. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय ।

CD

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/261 - I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला दतिया  
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्रीमती संध्या शर्मा, पुत्रवधु स्व. श्री रमेश शर्मा, नेत्र सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भण्डेर जिला दतिया।

सन्दर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया का पत्र कमांक 2407 दि. 11.04.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्रीमती संध्या शर्मा, पुत्रवधु स्व. श्री रमेश शर्मा नेत्र सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भण्डेर जिला दतिया का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदिका श्रीमती संध्या शर्मा, पुत्रवधु स्व. श्री रमेश शर्मा, द्वारा वार्डआया के पद हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण मे श्रीमती संध्या शर्मा, पुत्रवधु स्व. श्री रमेश शर्मा, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे वार्डआया की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखती है। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन वार्डआया का अनारक्षित वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती संध्या शर्मा, पुत्रवधु स्व. श्री रमेश शर्मा, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3 /06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ( )

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 26/02 / 2018

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/262 - I

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला दतिया मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर म.प्र.।
3. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. श्रीमती संध्या शर्मा, पुत्रवधु स्व. श्री रमेश शर्मा, पता- गेट नम्बर एक, स्कूल के सामने, भाण्डेर जिला दतिया।

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/199- I  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/ 02/ 2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला दतिया  
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री प्रदीप बाल्मीक, पुत्र स्व. श्री रामनिवास, स्वीपर, जिला चिकित्सालय  
भिण्ड।

सन्दर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड का पत्र कमांक 15532-34 दि. 30.09.2016।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री प्रदीप बाल्मीक, पुत्र स्व. श्री रामनिवास, स्वीपर, जिला  
चिकित्सालय भिण्ड का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय  
को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री प्रदीप बाल्मीक, पुत्र  
स्व. श्री रामनिवास, द्वारा वार्डवाय के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्री प्रदीप बाल्मीक, पुत्र स्व. श्री रामनिवास, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे वार्डवाय  
की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन वार्डवाय का अनुसूचित  
जाति वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री प्रदीप बाल्मीक, पुत्र स्व. श्री रामनिवास को मध्यप्रदेश  
शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3 /06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008  
एवं परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 03 दिवस  
में अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया  
जाना सुनिश्चित करें।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न - उपरोक्तानुसार ( )



(विवेक श्रीत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/200- I

भोपाल दिनांक 26/02 / 2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला दतिया/भिण्ड मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाय ग्वालियर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड।
4. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. श्री प्रदीप बाल्मीक, पुत्र स्व. श्री रामनिवास, पता- बी.टी.आई. रोड़ शिवहरे का पुरा जिला भिण्ड।



अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/197-I  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला दतिया  
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण -- श्री अर्जुन बाल्मीक, पुत्र स्व. श्री बब्लू बाल्मीक, वार्डवाय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कराहल जिला श्योपुर।

सन्दर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला श्योपुर का पत्र कमांक 14603-5 दि. 08.11.2017।

---000---

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री अर्जुन बाल्मीक, पुत्र स्व. श्री बब्लू बाल्मीक, वार्डवाय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कराहल जिला श्योपुर का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।


संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री अर्जुन बाल्मीक, पुत्र स्व. श्री बब्लू बाल्मीक, द्वारा वार्डवाय के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्री अर्जुन बाल्मीक, पुत्र स्व. श्री बब्लू बाल्मीक, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे वार्डवाय की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन वार्डवाय का अनुसूचित जाति वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री अर्जुन बाल्मीक, पुत्र स्व. श्री बब्लू बाल्मीक, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ( )



(विवेक श्रोत्रिय)  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/198-I

भोपाल दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर, जिला दतिया/श्योपुर मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला श्योपुर।
4. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. श्री अर्जुन बाल्मीक, पुत्र स्व. श्री बब्लू बाल्मीक, पता- निवासी गणेश बजार कराहल जिला श्योपुर।



अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/195- I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला-शोपुर, मध्यप्रदेश ।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री हनीफ शेख आत्मज स्व.श्री नूर मोहम्मद कम्पाउडर, सीहोर म.प्र. ।

सन्दर्भ:- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीहोर का पत्र क्र./स्था./2014/625,  
सीहोर, दिनांक 08.01.2014 ।

—000—

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से स्व.श्री नूर मोहम्मद कम्पाउडर सामु.स्वास्थ्य केन्द्र आष्टा जिला सीहोर की मृत्यु दिनांक 23.12.2012 को हो जाने से उनके पुत्र श्री हनीफ शेख का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण सीहोर जिले में रोस्टर अनुसार तृतीय श्रेणी के पद रिक्त नहीं होने से संचालनालय में प्राप्त हुआ है जो मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है ।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री हनीफ शेख के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आवेदक को सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु योग्य पाया गया । आपके अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग में सहायक ग्रेड-3 का एक पद रिक्त है ।

अतः म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत आवेदक को सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति प्रदान कर 03 दिवस में की जाकर संचालनालय को डाक एवं ई-मेल ([nongazatted.mp@mp.gov.in](mailto:nongazatted.mp@mp.gov.in)) द्वारा समय सीमा में अवगत करावें ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न:- मूल सह पत्र ।



(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/196 - I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र. ।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल/ग्वालियर संभाग म.प्र. ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-सीहोर म.प्र. ।
4. श्री हनीफ शेख आत्मज स्व.श्री नूर मोहम्मद पता- 93, आनंद नगर उज्जैन रोड देवास म.प्र. ।
5. प्रभारी एम.आई.एस स्थानीय कार्यालय ।



अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/193- I  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला मिण्ड  
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री भूपेन्द्र सिंह, पुत्र स्व. श्री छोटे सिंह घुरैया, वाहन चालक,  
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव जिला मिण्ड।

सन्दर्भ :- आपका पत्र कमांक 12508-09 दिनांक 16.06.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री भूपेन्द्र सिंह, पुत्र स्व. श्री छोटे सिंह घुरैया, वाहन चालक,  
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव जिला मिण्ड का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन संचालनालय को प्रेषित किया  
गया था।

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु श्री भूपेन्द्र सिंह, पुत्र स्व. श्री छोटे सिंह घुरैया, द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 09.  
01.2018 में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3 /06 भोपाल, दिनांक  
18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क.  
सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, यदि किसी पद  
के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति  
प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें  
अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।

अतः श्री भूपेन्द्र सिंह, पुत्र स्व. श्री छोटे सिंह घुरैया, को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु  
प्राचार्य बहुध्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने बावत् नियमानुसार  
कार्यवाही 03 दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत  
करावे।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ( )



(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/194-I

भोपाल दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला मिण्ड मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाय ग्वालियर/सागर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।
4. प्राचार्य बहुध्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म.प्र.।
5. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. श्री भूपेन्द्र सिंह, पुत्र स्व. श्री छोटे सिंह घुरैया, पता- ग्राम सेवा, सहसील बामौर जिला मुरैना।

  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश